संख्या- 2/2022/1907/78/-2-2021-146आईटी/2021

प्रेषक,

कुमार विनीत
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी,2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/ स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत डिवाइसेस की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 81413.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-TMD/Budget/D/21-22/3212, दिनांक 21-12-2021 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-14/2021/1502/77-1-2021 दिनांक 06-10-2021 एवं शासनादेश संख्या-15/2021/1503/77-1-2021 दिनांक 06-10-2021 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टेबलेट/ स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 06-10-2021 द्वारा यूपीडेस्को को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टैबलेट पीसी एवं स्मार्टफोन फर्मो को जेम से निर्गत कान्ट्रैक्ट की तिथि 17-12-2021 से प्रथम 30 दिनों में आपूर्ति किये जाने वाले प्रस्तावित 2,88,000 टैबलेट पीसी हेतु प्रति टैबलेट पीसी रू0- 12,606/- की दर से (जीएसटी सहित) धनराशि रू0-3,63,05,28,000/- (तीन अरब तीरसठ करोड़ पाच लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) एवं 4,20,000 स्मार्टफोन हेतु प्रति स्मार्टफोन रू0- 10,740/- की दर से (जीएसटी सहित) धनराशि रू0-4,51,08,00,000/- (चार अरब इक्यावन करोड़ आठ लाख मात्र) इस प्रकार कुल 7,08,000 डिवाइसेस के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 8,14,13,28,000/- (रू0 आठ अरब चौदह करोड़ तेरह लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक रु. 45000.00 लाख (रुपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) की सीमा तक, वास्तविक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. भुगतान किये जाने से पूर्व Bid Documents में क्रय सामग्री हेतु उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों, आपूर्ति, टेस्टिंग, डाक्यूमेन्टेशन, वारण्टी आदि एवं अन्य सभी आवश्यक Terms & Conditions की पूर्णता के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को संतुष्ट हो लेंगे।
6. आहरण / भुगतान किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा सुंसगत मैनुअल / शासनादेशों / नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
9. उक्त धनराशि का उपयोग योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलो को सत्यापित करा लेंगे।
12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स -08 प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाये जाने हेतु कोष-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
13. यह वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30-12-2021 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जा रही है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं आद्योगिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-1 ।
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in